International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 20-04-2022, Accepted: 06-05-2022, Published: 21-05-2022
Volume 8, Issue 3, 2022, Page No. 46-49

महिला का विधिक सशक्तिकरण एवं न्यायपालिका

राधा विश्नोई
शोधार्थी (विधि संकाय), जय नारायण व्यास, विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
महिलाओं के विरूद्व अपराध दिनोंदिन बढते जा रहे हे ऐसे हालात में महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे अपराधों पर नियंत्रण होना आवश्यक है और न्यायपालिका का योगदान अपराध पर नियंत्रण और महिलाओं की स्थिति में सुधार, पुर्नवास, प्रतिकर के रूप में अग्रणी रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भारतीय संविधान के विशेष प्रावधान जिसमें मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व के साथ ही अन्य कठोर कदम उठाए गए है शोधार्थी ने अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के साथ ही महिलाओं के लिए बने कानूनों का विवरण दिया है। महिलाओं के विरूद्व होने वाले मुख्य अपराधों के विवरण के साथ ही उच्चतम न्यायालय के समाधानों व न्यायोचित निर्णयों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में महिलाओं संबधि कानूनों में कमी तथा महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयासों का भी विवरण दिया है। इस प्रकार न्यायपालिका निष्पक्ष न्याय करने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का कार्य भी करती है।

मूल शब्दः महिला, अपराध, न्यायपालिका, कानूनी प्रावधान

प्रस्तावना
वर्तमान समय में भारतीय समाज में महिलाओं की वास्तविक स्थिति, उनके अधिकार, सुधार व अधिकारिता की आवश्यकता आदि महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करने के पूर्व ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में नारी की प्रास्थिति पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा। सामाजिक संरचना में नारी की स्थिति कभी भी किसी भी देश में उस समय के प्रभाव से अछूती नहीं रहती।

1. भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकार
भारत का संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है, संविधान शब्द का तात्पर्य उस प्रलेख से है जो किसी राष्ट्र के निमित सरकार और प्रशासन के मूलभूत अंगों की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के प्रादुर्भाव के साथ ही भारत में महिलाओं के अधिकारों के विषय में जागरूकता आई है। भारतीय संविधान में महिलाओं के विधिक अधिकारों से सम्बन्धित इस प्रकार है।

1. मौलिक अधिकार और महिलाएं
अध्याय–3 में समता(अनुच्छेद 14), स्वतंत्रता (अनुच्छेद15), और शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान किए गए है।
''एयर इण्डिया बनाम नरगिस मिर्जा'',[1] में सर्वोच्च न्यायालय ने एयर इण्डिया और इण्डियर एयर लाइंस के उन विनियमों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जो लिंग के आधार पर भेदभाव करते है।
''प्रगति वर्गीज बनाम सिरील जार्ज वर्गीज''[2] में मुम्बई उच्च न्यायालय ने तलाक अधिनियम 1869 की धारा 10 को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि अनुच्छेद– 14 का उल्लंघन है जो लिंग के आधार पर विभेद करती है।
अनुच्छेद– 15(3) में स्त्रियों कों विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। भारत में स्त्रियों की दशा बड़ी सोचनीय थी इसी कारण राज्य को उनके लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार प्रदान करना उचित था।
''दत्तात्रेय बनाम स्टेट''[3] के मामले में मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि राज्य केवल स्त्रियों के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। अन्य ऐसी संस्थाओं में उनके लिए स्थगन भी आरक्षित कर सकता है।
अनुच्छेद–21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है, इसमें महिलाओं के लिये कुछ अधिकार इस प्रकार है

1. मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार।
2. बलात्कार से पीड़ित महिला का अंतिम प्रतिकर पाने का अधिकार।
3. अमानवीय व्यवहार के विरूद्ध संरक्षण।
4. नियोजन के दौरान यौन शोषण के विरूद्ध अधिकार।
5. शिक्षा पाने का अधिकार।
6. एकातंता का अधिकार।
7. महिलाओं को वैश्यावृत्ति से बचाने तथा उनकी संतानें के पुर्नवास हेतु सरकार को निर्देश देने का अधिकार।
8. मृत्युदण्ड से निलंबन का अधिकार।
9. चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार।
10. पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरूद्ध संरक्षण।

2. शोषण के विरूद्ध अधिकार

अनुच्छेद 23, 24 के अन्तर्गत मानव के दुव्यापार, बालतश्रम, और कारखानें आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेण किया गया है। अनुच्छेद–23 में महिलाओं के शोषण के विरूद्ध उपचारों का उल्लेख किया गया है।

2. राज्य के नीति–निदेशक तत्व एवं महिलाएं

संविधान के भाग–4 में नीति निदेशक तत्व है, ये वे आदर्श है जिनको प्रत्येक सरकार अपनी नीतियां के निर्धारण और कानून बनाने में सदैव ध्यान में रखती है। राज्य ऐसी नीति–निर्माण करें जो महिलाओं के कल्याण व विकास में सहायक हो।

3. मूल कर्त्तव्य एवं महिलाएं

संविधान के भाग 4–क में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें अनुच्छेद–51(क) के खण्ड (5) में स्त्रियों के सम्मान को स्थान दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध है। स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करना तथा स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध प्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य माना गया है।

''चन्द्र राजकुमारी बनाम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद''[4] का वाद महिलाओ के सौंदर्य प्रतियोगिता से संबंधित है इस वाद में उच्च आन्ध्र प्रदेश, एच.सी. ने कहा– '' नारी मात्र एक व्यक्ति नही है अपितु एक शक्ति भी है उसका नारीत्व मॉ की ममता के रूप में छलकता है। ऐसी नारी का सम्मान व गौरव संविधान के अनुच्छेद –21 के अधीन संरक्षित है।

''महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुकर नारायन''[5], सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि एक चरित्रहीन महिला को भी एकान्तता का अधिकार है। एक पुलिस इंस्पेक्टर ऐसी महिला के घर जाकर लैंगिग सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया महिला के विरोध करने पर, पुलिस वाला पकडा गया और अपने बचाव में यह तर्क दिया कि महिला चरित्रहीन हे। अतः उसका साक्ष्य मान्य नही है।

4. स्वतंत्रता पश्चात् महिलाओं से संबंधित कानून

भारत संविधान :–

1. विशेष विवाह अधिनियम 1952
2. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955
3. अनैतिक व्यापार निषेध अधिनियम 1956
4. प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961
5. दहेज निषेध अधिनियम 1961
6. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956
7. खान अधिनियम 1952
8. चिकित्सकीय गर्भपात तकनीक निषेध 1971, पी.सी. पी.एन.डी.टी. एक्ट
9. समान परिश्रमिक अधिनियम 1976
10. बीड़ी एवं सिगार कर्मकार अधिनियम 1966
11. अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986
12. घरेलु हिंसा अधिनियम 2005
13. पाक्सो एक्ट– 2012
14. सी.आर.पी.सी.– अनुच्छेद– 47, स्थान की तलाशी 100– महिला की तलाशी में महिला के सम्मान को बनाये रखते हुय लेना।
15. आई.पी.सी.– 375, 376 (क)–(5), 354– शीलभंग, 509–महिलाओं के साथ छेड़छाड़, 363, 366 व्यपहरण, अपहरण, 372, 373– महिला को अनैतिक कार्य के लिए खरीदा व बेचा जाना।
16. 503/506– आपराधिक अभित्रास
17. विवाह संबंधी अपराध– 493, 498 पति–पत्नि के नातेदारों द्वारा क्रूरता के विषय में 498ए.
18. चलचित्र अधिनियम 1952
19. गर्भ का चिकित्सकीय समापन नियम 2003

भारत में कुछ जगह तालिबानी संस्कृति दिखलाई देती है। स्कूल, कॉलेज जाती लड़कियों पर कई तरह की पाबंदिया लगाई जाती है। हरियाणा की खाप पंचायत ने तो महिला को घर की 'दासी' बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पंचायत फरमान जारी करती है – लड़कियाँ घर से बाहर निकले तो अपने भाई या परिजनों के साथ ही जाए उनके मोबाईल फोन रखने पर पूर्णतया प्रतिबंद्ध लगाया जाए।

आज समाज में महिलाओं के विरूद्ध अपराध निरन्तर बढते जा रहे है जिनमें कुछ इस प्रकार है

1. **कन्या भ्रूण हत्याः** महिलाओं के विरूद्व सर्वप्रथम अपराध उनको पैदा हाने से पहले मार देना। पिछले सौ वर्षो से लैगिक अनुपात गिरता जा रहा है। 1990 में 1000 पुरूषों पर 972 महिलाएं थी वही 2001 में यह अनुपात घटकर 933 हो गया। भारत के पंजाब और हरियाणा में यही अनुपात 861 और 874 है।

   कन्या भ्रूण हत्याएं होना आम बात हो गई है। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है, यही मान्यता है कि लड़की पराया धन होती है। समाज में महिलाओं के प्रति सोच नकारात्मक है। इसलिए लिंग जांच व लिंग चयन ज्यादातर

होते है और इसके पिछे ज्यादातर लोगों की सोच है ''अभी पांच हजार खर्च करो भविष्य में पांच लाख की बचत करो''।

कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन रोकथात अधिनियम 1994 '' बना और उच्चतम न्यायालय ने '' सेन्टर फॉर एनक्वायरी इन हेन्स एण्ड एलाइड थीम्स (CEHAT) एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया''[6] एव अन्य के वाद में कन्या भ्रूण हत्या रोकने हेतु राज्य सरकारों द्वारा समुचित कदम न उठाने के कारण फटकार लगाई यहा तक कि राज्य में अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के पंजीकरण जैसे साधारण से कार्य को भी पूर्णरूप से कार्यान्वित नही किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यहा तक कहा है कि इस कार्य में असफल अधिकारियों /कर्मचारियों को हटा देना चाहिए।

2. **बाल विवाहः** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 1998–1999 के अनुसार भारत में 65 प्रतिशत बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष की उम्र से पूर्व कर दिया जाता है। बाल्यावस्था में गर्भावस्था से माताओं की मृत्यु के अवसर बढ़ जाते है। हमारे यहां आखातीज, रामनवमी, बसंत पंचमी आदि त्यौहार पर बाल–विवाह होते रहते है।

बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नाबालिग पत्नि से संबंध बनाना दुष्कर्म माना जाएगा उच्चतम न्यायालय केइस निर्णय से हिन्दू विधि ओर मुस्लिम विधि दोनों के अंतर्गत शादी के लिए रजामंदी से मिलने वाली छूट अब कानूनी रूप से अवैध मानी जाएगी नाबालिग पत्नि से शारिरीक संबंध बनाने को दुष्कर्म करार दिया न्यायालय के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लडकी से शारीरिक संबंध बनाना दुष्कर्म है इससे फर्क नही पडता कि लडकी शादीशुदा है या नही ।

''स्वतंत्र विचारक बनाम भारत सरकार''[7]

बाल विवाह अधिनियम 1929 के अनुसार निर्धारित आयु के अनुसार ही विवाह हो विवाह की न्यूनतम आयु अधिनियम के तहत है वही मान्य है।

3. **घरेलु हिंसाः** महिलाएं चाहे घर में हो या बाहर उसे हिंसा का शिकार बनना पड़ता है। बाहर से जब हिंसा हो तो घरवालों के सहयोग की जरूरत होती है। परिवार जो इंसान की ताकत होती है जो हर परिस्थिति में परिवार के लोग एक–दूसरे की सहायता करते है, वही घर परिवार में हिंसा हो तो इंसान टूट जाता है। महिलाएं, घरेलु हिंसा की शिकार होती आई है और ये स्तर बढता जा रहा है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के महिलाओं की सुरक्षा 26 अक्टुबर 2006 से लागू हुई इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य '' संविधान के तहत गांरटीकृत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए प्रदान करना है जो किसी भी प्रकार की हिंसा जो घर में हो का शिकार है'' संरक्षण प्रदान कर उचित सहायता प्रदान करना ।

''एस.आर. बत्रा बनाम तरूण बत्रा''[8] के वाद में घरेलू हिंसा में आने वाले विवाद साझां गृहस्थी में रहने वाले लोगों द्वारा किया गया अपराध शामिल है, साझा गृहस्थी का अर्थ जहां व्यक्ति जीवन या किसी भी अवस्था में जीवन यापन करता है और प्रतिवादी के साथ – साथ एक घरेलू सम्बन्ध में रहता है चाहे व मकान मालिक हो या किरायेदार या संयुक्त रूप से पीडित व्यक्ति । ''वी.डी. भनोट बनाम सविता भनोट''[9] ''ललिता टोप्पो बनाम झारखंड राज्य''[10]' के वाद में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि न केवल घरेलू मामलों में बल्कि लिव–इन–रिलेशनशिप में रह रही महिला भी घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा व रखरखाव की मांग कर सकती है।

4. **महिलाओं के विरूद्ध बढ़ते अन्य अपराधः** नेशनल क्राइम ब्यूरों की एक रिपोर्ट ''क्राइम इन इण्डिया 2002'' के अनुसार पिछले 4 वर्षों में महिलाओं के प्रति अपराधों में 12.1 की वृद्धि हुई।

केन्द्रीय सरकार द्वारा 1993 में महिलाओं के विरूद्ध अपराध पर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 54 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार, 26 मिनट में एक बदसलूकी, 51 मिनट में छेड़छाड़ तथा 102 मिनट में एक दहेज हत्या होती है। व्यपहरण–अपहरण की एक दिन में करीब 42 घटनाएं होती है। 1994 में भारत में 12351 बलात्कार और 25,946 यातना देने सबकी अपराध दर्ज किये गये। दहेज हत्याएं एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 5000 घटित होती है।

5. **बलात्कार से पीडित महिला का अन्तरिम प्रतिकर पाने का अधिकार**

''बौधीसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती''[11] – सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि न्यायालय को बलात्कार की शिकार महिला को अन्तिरम प्रतिकर देने की शक्ति है। जब तक की परीक्षण न्यायालय अभियुक्त के उपर लगाए आरोप पर अपना निर्णय नही दे देता है। न्यायमूर्ती सगीर अहमद ने कहा कि – '' स्त्रियों के व्यक्तित्व के अनेक पहलू है वह मॉ, पुत्री, बहन और पत्नि है और वह पुरूष के हाथ की कठपुतली नही है। बलात्कार केवल एक स्त्री के विरूद्व ही नही पूरे समाज के विरूद्व अपराध है। अतः इसे रोकने के हर संभव प्रयास करने चाहिए ।

''चैयरमैन रेलवे बोर्ड चन्द्रिका दास''[12] – हावडा रेलवे स्टेशन में रेलवे कर्मचारियों द्वारा एक बांग्लादेशी महिला श्रमिक श्रीमती हनीफा खातून के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पीडित महिला को 10 लाख का प्रतिकर प्रदान किया। रेलवे अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाईल की और कहा रेलवे प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी नही है क्योंकि पीडित महिला एक विदेशी है और भारतीय नागरिक नही है। सुप्रीम कोर्ट ने इन तर्को को अस्वीकार करके निर्णय दिया कि अनुच्छेद – 21 के अन्तर्गत एक विदेशी व्यक्ति को भी यह अधिकार प्राप्त है जहां लोक अधिकारियों पर आरोप है। मामला मूल अधिकारों के उल्लघंन से संबंधित है, लोक कर्तव्यों के लागू करने का है, उपचार लोक विधि के अन्तर्गत उपलब्ध है, भले ही इसके प्रतिकर के लिए प्राइवेट विधि के अन्तर्गत वाद दायर किया जा सकता है।

6. वर्तमान में कानून में कमियां और महिला सुरक्षा

वर्तमान में कई कानून भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने है परन्तु कनून की जानकारी व जागरूकता की कमी की वजह से महिलाएं अपराध का शिकार होती है। वर्तमान कानून महिलाओं को कानून सुरक्षा कम देता है। आंतकित, भयभीत और पीड़ित अधिक करता है। कानून में संशोधन के साथ–साथ यह भी आवश्यक है कि समाज और न्यायाधीशों का दृष्टिकोण बदले। बलात्कार के हजारों मुकदमें हर साल दर्ज होती है। लेकिन अधिकांश अपराधी बाइज्जत बरी हो जाते है। कानून में शंका का लाभ अपराधी को मिलता है जिस महिला के साथ अपराध होता है, समाज और परिवार उसे घृणा की नजर से देखते है।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 155(4) में आज भी यही प्रावधान है कि– ''गवाह की विश्वसनीयता'' समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि ''अगर किसी व्यक्ति पर बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप हो तो उसे सिद्ध करना होगा कि पीड़िता आमतौर से अनैतिक चरित्र की महिला है'' अर्थात् कानून इस प्रावधान की छात्रछाया में क्या हर किसी को यह कूननी अधिकार नही कि वह वैश्याओं, कॉलगर्ल या चरित्रहीन औरतों के साथ जब चाहे तब उन पर अत्याचार व शोषण कर सकता है।

7. वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के सफल प्रयास

दिल्ली उच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया जिसमें बेटी को भी घर का मुखिया बनने का हक है। न्यायाधीश नाजिक वजीरी ने कहा कि मुखिया की गैर मौजूदगी में घर में जो सबसे बड़ा होगा वही उस घर का कर्ता होगा फिर चाहे वो बेटी ही क्यों नहो। यदि पहले पैदा होने पर पुरूष मुखिया बन सकता है तो ऐसा औरत भी कर सकती है। हिन्दु संयुक्त परिवार की महिला को ऐसा करने से रोकने का कोई कानून नहीं है। अब बड़ी बेटी प्रोपर्टी से जुड़े हक के अलावा घर, परिवार की समस्याओं में भी मुखिया की भूमिका निभा पाएगी।

राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य विभाग की सर्वे रिपोर्ट 2015–2016 में महिलाओं की तरक्की बताता सरकार का सर्वे घर से जुड़े फैसले लेने में देश की महिलाओं की हिस्सेदारी 10 साल में दो गुना से भी ज्यादा बढ गई है। 75 प्रतिशत महिलाएं घर से जुड़े फैसले लेने लगी है। परिवार में भ्रुण महिलाओं के फैसलों को महत्व दिया जाने लगा है। जबकि 2005–06 में सिर्फ 36.7 प्रतिशत महिलाएं इस स्थिति में थी। शहरी महिलाओं के मामले में यह 77.6 प्रतिशत जबकि ग्रामीण महिलाओं के मामले में यह 74.8 प्रतिशत है।

मंत्रालय ने 15 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों से किए सर्वे के आंकड़े जारी किए है उनमें महिलाओं की सम्पति सामाजिक स्थिति, स्वास्थ्य और पोषण जैसे पैमानों पर महिला सशक्तिकरण और सकारात्मक बदलाव के संकेत मले है।

विवाहित महिलाओं के विरूद्ध हिंसा 16 प्रतिशत घटी 2005–2006 में किए पिछले सर्वे में ऐसी महिलाओं का आंकड़ा 59 प्रतिशत था जो 2015–16 यानी ताजा सर्वे में 43 प्रतिशत रह गया है। हरियाणा में बाल–विवाह के आंकड़े 50 प्रतिशत तक घट गए। 18 वर्ष से कम आयु से पहले शादी करने वाली युवतियों की संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा घटकर सिर्फ 18.5 प्रतिशत रह गई। 2005–06 में यह 40 प्रतिशत की निजी संपति मामले में बिहार की महिलाएं देश में सबसे आगे है। बिहार में 59 प्रतिशत महिलाओं के पास अपनी सपंति है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. ए. आई.आर. 1981 सु.को.
2. ए. आई. आर. 1997, बोम्बे 349
3. ए. आई. आर. 1981
4. ए.आई.आर. 1998
5. ए.आई.आर. 1991
6. ए.आई.आर, 2003
7. ए.आई.आर 2017
8. ए.आई.आर. 2006 दिल्ली उच्च न्यायालय (5837)
9. ए.आई.आर., 2012
10. ए.आई.आर., 2018
11. ए.आई.आर., 1996
12. ए.आई.आर, 2000
13. डॉ. धर्मवीर चंदेल, मानवाधिकार और महिला विमर्श, प्रथम संस्करण– 2014 पोइन्टर पब्लिशर्स,
14. सम्पादक–संतोष खन्ना, महिला विधि भारती, अप्रेल–जून, 2012, अंक–71
15. दैनिक भास्कर, 1 फरवरी 2016, सोमवार, पृष्ठ संख्या– 16
16. महिलाओं के अधिकार, अध्याय – 9 दिलीप जाखड, मानवाधिकार और पुलिस संगठन यूनिवर्सिटी बुक हाउस , प्रा.लि. (जयपुर)
17. पेज नम्बर – 31, महिलायें एवं बाल कानून, डॉ. अंजनी कांत, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन ,
18. डॉ. जयनारायण पाण्डेय, भारत का संविधान ।
19. डॉ. डी.डी. बासु, भारत का संविधान।
20. https://blog.mygov.in>editorial>
21. hi.vikaspedia.in>social-welfare